

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

—00—

क्रमांक/5815 /1773/22-2/2024/

अटल नगर, दिनांक 23 /12/2024

प्रति,

1. संचालक,
पंचायत संचालनालय,
विकास भवन, नवा रायपुर अटल
छत्तीसगढ़
2. समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के आरक्षण हेतु समय-सारणी भेजने बाबत।

संदर्भ:- 1. छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 5644 दिनांक 11.12.2024 एवं पत्र क्रमांक 5646 दिनांक 11.12.2024
2. छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 5735 दिनांक 16.12.2024

— 00 —

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के पदों के आरक्षण हेतु संशोधित समय-सारणी संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है। संदर्भित पत्र क्र. 1 में दिए गए निर्देशों तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा - 13, 17, 23, 25, 30, 32, धारा 129 ड के प्रावधानों एवं सुसंगत नियमों का भलि-भांति अध्ययन करते हुए संलग्न समय-सारणी के अनुसार आरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्न :- समय-सारणी।

Taran

(तारन प्रकाश सिन्हा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/5816 /1773/22-2/2024/

अटल नगर, दिनांक 23 /12 /2024

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
3. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़, विकास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़, की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त उप संचालक, पंचायत, जिला कार्यालय छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Taran

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन वर्ष 2024-25 हेतु आरक्षण कार्यवाही के लिये

समय-सारणी

कं.	विषय / संक्षेपिका	प्रस्तावित तिथि	कार्य का निष्पादन किसके द्वारा किया जाना है।
1	2	3	4
1	जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच पद के प्रवर्गवार आरक्षण की कार्यवाही हेतु सूचना का प्रकाशन	23.12.2024 (सोमवार)	कलेक्टर
2	जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच पद के प्रवर्गवार आरक्षण की कार्यवाही एवं अधिसूचना का प्रकाशन	28.12.2024 (शनिवार) से 29.12.2024 (रविवार)	कलेक्टर
3	जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच पद के प्रवर्गवार आरक्षण की जानकारी प्रेषित किया जाना	29.12.2024 (रविवार)	कलेक्टर
4	जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन	23.12.2024 (सोमवार)	संचालक पंचायत
5	आरक्षण की कार्यवाही एवं जानकारी प्रेषित करना	30.12.2024 (सोमवार)	संचालक पंचायत

Taran

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग